प्रेस विज्ञप्ति

13 मार्च 2008

सावड़ा कुड्डू की जनसुनवाई में एडीबी लोन का विरोध
पर्यावरण आकलन अधूरा, जनसुनवाई फिर से हो

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहरू व जुब्बल तहसील में पब्बर नदी पर निर्माणाधीन सावड़ा–कुड्डू जलविद्युत परियोजना (111 मेगावाट) से सम्बन्धित एक जनसुनवाई 12 मार्च 2008 को हाटकोटी मंदिर सराय के सभागृह में सम्पन्न हुई। यह जनसुनवाई हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.पी.सी.एल.) की ओर से आयोजित की गई थी। जनसुनवाई में उपस्थित ज्यादातर लोगों ने स्पष्ट किया कि अधूरा पर्यावरण आकलन मंजूर नहीं है। यह आकलन पूरा होने के बाद जनसुनवाई हो और तब तक योजना का काम रोक देना चाहिए, एडीबी को लोन नहीं देना चाहिए और योजना को सीडीएम प्रोजेक्ट मानने का सवाल ही नहीं उठता है।

जनसुनवाई में रोहरू तहसील के एसडीएम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) के कंजरवेटर व एच.पी.पी.सी.एल. के सुपरीटेंडिग अंभियंता व विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों के अलावा स्थानीय आठ ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों व विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित कुल 150 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। पब्बर वैली पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी.वी.पी.सी.एल.) द्वारा विकसित किये जा रहे इस परियोजना में पब्बर नदी पर हाटकोटी में 13.5 मीटर ऊंची बैराज के अलावा 13 किमी लम्बी सुरंग के माध्यम से एक पनबिजली परियोजना प्रस्तावित है। पीवीपीसीएल द्वारा इस परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा लोन की मांग की गई है और परियोजना के लिए सीडीएम क्रेडिट के लिए आवेदन भी प्रस्तावित है।

जनसुनवाई में परियोजना से जुड़े विभिन्न पक्षों ने जहां एक ओर परियोजना से होने वाले लाभों के बारे में बताया वहीं जनसुनवाई में आए विभिन्न प्रतिनिधियों ने परियोजना से जुड़ी समस्याओं व कमियों के सवालों की झड़ी लगा दी। लोगों द्वारा उठाये गये मुद्दों से परियोजनाकारों द्वारा जनहितकारी कही जाने वाली इस परियोजना की पोल खुलती दिखी। परियोजना से प्रभावित होने वाले गांव के लोगों ने तो परियोजना के औचित्य पर ही मूलभूत सवाल उठाये। परियोजनाकार द्वारा प्रभावित क्षेत्र के पर्यावरण प्रबंधन के आधार के तौर पर प्रस्तुत परियोजना की असर आकलन रिपोर्ट (इआईए) की मूलभूत खामियों को उजागर किया। स्थानीय थाणा गांव निवासी डा. राजेन्द्र जोगटा ने कहा कि जब इआईए रिपोर्ट में प्रभावित होने वाले कई महत्वपूर्ण स्थानीय संसाधनों का जिक्र ही नहीं है तो उसका प्रबंधन या उपचार कैसे किया जाएगा। प्रभावित इलाके में पब्बर की सहायक खड्ड चौरी व जारला के बारे में जिक्र न होना, डाउनस्ट्रीम के मछुआरों के बारे में गलत जानकारी, प्रस्तावित बैराज द्वारा डाउनस्ट्रीम में नीति के अनुरूप 15 प्रतिशत के बजाय सिर्फ 10 प्रतिशत पानी छोड़ने का प्रवाधान, भूस्खलन प्रभावित थाणा व भरोट गांवों का जिक्र न होना, सिंचित खेती योग्य जमीनो को मलवा डालने के लिए उपयोग लाने, परियोजना के लिए हाई टेंशन लाईन के लिए जमीन अधिग्रहण के बारे में जिक्र न होना आदि कई महत्वपूर्ण सवालों को उन्होंने उठाया। उनका कहना था कि, ''इन कमियों को सुधारे बगैर इस परियोजना को आगे बढ़ाना औचित्यहीन है''। स्थानीय विकास के लिए पिछले 24 सालों से कार्यरत संस्था 'रांवी विकास सभा शिमला' के प्रधान गोविन्द चतरान्टा ने परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के बीच उचित सलाह मशविरा की प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि, ''परियोजना से दूरगामी दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को न बताकर उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। इस इलाके में पहले ही 1978 व 1988 में भूस्खलन आ चुका है और उसके भावी बचाव का उपाय किये बगैर ही उन्हीं पहाड़ों पर सुरंग खुदाई के लिए विस्फोट किये जा रहे हैं। ऐसी परियोजनाओं के पिछले अनुभव बताते हैं कि सुरंग की वजह से जलस्रोत गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं और भूमि की नमी समाप्त हो जाती है और स्थानीय पेड़–पौधों व कृषि पर इसका गंभीर दुष्प्रभाव होता है। इस परियोजना के गंभीर भावी असरों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित लोगों को जमीन के बदले जमीन, पानी के बदले पानी, आजीविका के बदले आजीविका और घर के बदले घर का प्रावधान किया जाना चाहिए।''

स्थानीय घुन्सा गांव निवासी वी पी बाल्टू ने इस बात पर सवाल उठाया कि, ''जनसुनवाई किस नियम के तहत आयोजित की गई है? 15 जून 2006 को आयोजित पिछली जनसुनवाई में उठाये गये मुद्दो पर जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इस जनसुनवाई का क्या औचित्य है? कैट प्लान (जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना), स्थानीय लोगों को रोजगार, स्थानीय विकास के फंड का दुरूपयोग जैसे मुद्दों पर अब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।'' रांवी पंचायत के प्रधान विजेन्द्र चौहान ने कहा कि, ''उनकी पंचायत की ओर से पिछली जनसुनवाई में लिखित ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पूरे इलाके के लोग सेब की अर्थव्यवस्था पर आश्रित हैं और स्थानीय लोग अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं और सुरंग का निर्माण विस्फोट के बजाय टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के माध्यम से किया जाना चाहिए।''

सांवड़ा गांव के निवासी मछुआरों का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री. हरनाम सिंह ने पूरी घाटी में केवल एक लाइसेंस–धारी मछुआरे के ई.आई.ए. में वर्णन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि इस दस्तावेज़ में उनको नज़रंदाज किया गया है तथा उनके लिए न किसी मुआवज़े और न ही किसी वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

जनसुनवाई को अन्य कई स्थानीय प्रतिनिधियों जैसे सारी पंचायत के श्री. गोपाल, रांवी पंचायत के श्री. घनश्याम और भोलाड़ पंचायत के श्री बी एस हेटा ने भी संबोधित किया। जनसुनवाई में दिल्ली स्थित सैण्ड्रप के प्रतिनिधि ने परियोजना को एडीबी से लोन लेने एवं सीडीएम के लिए आवेदन करने को भी सैद्धान्तिक तौर पर अनुचित ठहराया। इसके साथ इआईए रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण संसाधनों के बारे में जिक्र न होने पर आश्चर्य जताया और रिपोर्ट के कई विरोधाभासों पर भी सवाल उठाया। साथ ही मांग दोहराया कि इन सभी कमियों को पूरा करने तक परियोजना के काम को आगे न बढ़ाया जाय। इसके अलावा कई विभिन्न प्रतिनिधियों ने स्थानीय विकास के फंड के उपयोग, स्थानीय रोजगार, रात्रि में विस्फोट किये जाने एवं विभिन्न अनियमितताओं पर अपने सवाल उठाये।

फरवरी 2008 में स्थानीय गांव के निवासियों एवं सैण्ड्रप ने परियोजना व उसकी प्रक्रिया के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए एडीबी को पत्र लिखा था।

जनसुनवाई के अंत में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कंजरवेटर विनोद तिवारी ने विभिन्न सवालों के बारे में लोगों को कोई निश्चित हल करने के बजाय वरिष्ठ विभागों द्वारा मशविरा करके आगे के कदम निश्चित करने का आश्वासन दिया।

हस्ता.
बिपिन चन्द्र
सैण्ड्रप

हस्ता.
निधि अग्रवाल
लोक विज्ञान केन्द्र, पालमपुर

सम्पर्क:
86–डी, एडी ब्लॉक, शालीमार बाग
दिल्ली – 110 088
फोनः 011– 27484655
ईमेल : cwaterp@vsnl.com